भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4740

21 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

नगर नियोजन में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना

†4740. श्री शशांक मणिः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने उन्नत स्मार्ट सिटी प्रौद्योगिकियों के साथ समन्वय में काम करने हेतु शहरी कर्मचारियों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए कोई दृष्टिकोण तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में शुरू किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों अथवा कौशल विकास पहलों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शहरी नियोजन और प्रबंधन भूमिकाओं में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कोई विशिष्ट कार्यक्रम हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ख): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) 25 जून, 2015 को शुरू किए गए अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) का कार्यान्वयन कर रहा है। स्मार्ट तत्व, घटक और प्रौद्योगिकियाँ अमृत परियोजनाओं का हिस्सा हैं और इसका उद्देश्य सतत शहरी विकास को बढ़ावा देना है। अमृत दिशानिर्देशों में जल आपूर्ति और सीवरेज परियोजनाओं के भाग के रूप में पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण (एससीएडीए) जैसे स्मार्ट तत्वों का प्रावधान है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, एससीएडीए के साथ 230 जल आपूर्ति परियोजनाएँ और 146 सीवरेज परियोजनाएँ कार्यान्वित की गई हैं।

प्रौद्योगिकी उप-मिशन अमृत 2.0 का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिससे स्टार्ट-अप विचारों और निजी उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा और उन्हें प्रायोगिक परियोजनाओं में शामिल किया जाएगा।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, अमृत 2.0 के अंतर्गत, 1,512 जलापूर्ति परियोजनाओं और 247 सीवरेज परियोजनाओं को एससीएडीए के साथ अनुमोदित किया गया है। अमृत के अंतर्गत, 45,000 कर्मियों के लक्ष्य की तुलना में, अब तक 57,134 कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। अमृत 2.0 के अंतर्गत, ठेकेदारों, प्लंबरों, संयंत्र संचालकों, छात्रों, महिलाओं और नागरिकों सहित सभी हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

(ग) से (घ): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने विभिन्न क्षेत्रों में 4 संस्थानों को शहरी नियोजन और डिजाइन में उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के रूप में नामित किया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ लोक सेवकों, राज्य नगर योजनाकारों, नगरपालिका अधिकारियों, व्यावसायियों/पेशेवरों, युवा छात्रों आदि को प्रमाणित प्रशिक्षण/प्रमाणित पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने शहरी नियोजन और प्रबंधन भूमिकाओं में तकनीकी प्रबंधकीय नेतृत्व को तैयार करने के लिए शहरी प्रबंधकों हेतु शहरी पुनर्जागरण तकनीक कार्यक्रम (यूआरटीपी) शुरू किया है। अब तक 300 पेशेवरों ने कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कराया है।

इसके अलावा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने क्षमता निर्माण हेतु 6 संस्थानों को अमृत वित्तपोषित शहरी नियोजन केंद्र के रूप में भी नामित किया है। इन संस्थानों की भूमिका में अन्य बातों के साथ-साथ नगरपालिका अधिकारियों/नगर एवं ग्राम नियोजन अधिकारियों को विषय-विशिष्ट प्रशिक्षण देना, राज्य/स्थानीय प्राधिकरणों की क्षमता निर्माण में वृद्धि करना और शहरी नियोजन में उनका सहयोग करना शामिल है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय महिलाओं के लिए संवेदनशील और समावेशी शहरी नियोजन को बढ़ावा देता है। अमृत 2.0 के अंतर्गत, मंत्रालय ने अमृत मित्र पहल भी शुरू की है, जिसमें जल मांग प्रबंधन, जल गुणवत्ता परीक्षण, जल अवसंरचना संचालन और जल क्षेत्र संबंधी अन्य परियोजनाओं में महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को शामिल किया गया है। इस पहल के तहत अब तक ₹162.81 करोड़ की 1965 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है।

*****